बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या – 03/02–भू0अ0नि0राज्य यो0(आरोप)खगड़िया–30/2023 548/**पटना, दिनांकः**–30/05/2023

आदेश

बंदोबस्त पदाधिकारी, खगड़िया के पत्रांक 23–। दिनांक 30.01.2023 द्वारा श्री आशुतोष कुमार अमन, विशेष सर्वेक्षण अमीन(AEN00459) के विरूद्ध यह प्रतिवेदित किया गया है कि श्री दहिचन सिंह एवं अन्य द्वारा कार्य के बदले पैसे लेने संबंधी परिवाद एवं विडियो प्राप्त हुआ है, जिसकी जांच संयुक्त जांच दल से करायी गयी, जिसमें श्री आशुतोष कुमार अमन द्वारा एक वृद्ध महिला से कार्य के बदले पैसे की उगाही की गयी है। बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा भ्रष्टाचार करने के आरोप में इनके सेवा समाप्ति की अनुशंसा की गयी है।

बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा लगाए गए आरोप के आलोक में भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के पत्रांक 1536 दिनांक 15.02.2023 द्वारा आरोपित से 03 दिनों के अन्दर स्पष्टीकरण की मांग की गयी है। आरोपित द्वारा निर्धारित अवधि में अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया है।

प्राप्त स्पष्टीकरण का अवलोकन किया गया। आरोपित द्वारा स्पष्टीकरण में लगाए गए आरोप के संबंध में यह तथ्य दिया गया है कि वृद्ध महिला द्वारा केवाला के फोटो कॉपी करने हेतु 300 रूपया दिया गया है, जिसकी पुष्टि में परिवादी श्री दहिचन सिंह द्वारा हस्ताक्षरित शपथ पत्र संलग्न कर दिया गया है। साथ ही अपने स्पष्टीकरण में यह भी अंकित किया गया है कि विशेष सर्वेक्षण कानूनगों द्वारा स्थलीय जांच में इन्हें निर्दोष पाया गया है।

बंदोबस्त पदाधिकारी से प्राप्त अनुशंसा तदनुसार निदेशालय से किए गए स्पष्टीकरण तथा आरोपित द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण एवं संचिका में रक्षित अन्य अभिलेखों की समीक्षा की गयी है। समीक्षोपरांत यह पाया गया कि आरोपित द्वारा अपने स्पष्टीकरण में स्वयं स्वीकार किया है कि वृद्ध महिला से फोटो कॉपी कराने हेतु 300 रूपया लिया गया है। आरोपित सरकारी पक्ष के संविदा कर्मी हैं, जिनका दायित्व सरकार द्वारा दिए गए कार्यो का निर्वहन करना है न कि आम रैयत से पैसा प्राप्त कर उनके दस्तावेजों की फोटो कॉपी कराने का। पैसे की लेन–देन से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि इनके द्वारा अवैध कृत्य किया गया है। इससे स्पष्ट है कि इनके द्वारा अपने उपर लगाए गए आरोपों से निदेशालय को दिग्भ्रमित करने हेतु स्पष्टीकरण में भ्रामक तथ्य अंकित किया गया है।

साथ ही इनके द्वारा स्पष्टीकरण के साथ परिवादी द्वारा आरोप वापस लेने संबंधी शपथ पत्र संलग्न किया गया है। संलग्न शपथ पत्र के सत्यता की जांच हेतु उक्त जिले के लिए नामित नोडल पदाधिकारी को मंतव्य देने हेतु संचिका पृष्ठांकित की गयी है। मंतव्य के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि नोडल पदाधिकारी द्वारा परिवादी से दूरभाष पर संपर्क किया गया है, जिसमें यह पुष्टि हुई है कि परिवादी द्वारा आरोपित पर लगाए गए आरोप को वापस लेने संबंधी कोई शपथ पत्र नहीं दिया गया है। साथ ही यह भी मंतव्य दिया गया है कि प्रस्तुत शपथ पत्र फर्जी प्रतीत होता है। इससे स्पष्ट है कि आरोपित द्वारा फर्जी शपथ पत्र एवं साक्ष्य प्रस्तुत कर कार्यालय को गुमराह करने का प्रयास किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि आरोपित पर बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा भ्रष्टाचार संबंधी लगाया गया आरोप प्रमाणित होता है। बिहार विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम आमजनता के बीच सहयोग के साथ किया जाने वाला कार्य है। इनके इस प्रकार के कृत्य से अन्य कर्मियों पर कुप्रभाव नहीं पड़ने के दृष्टिगत इनका संविदा नियोजन बनाए रखना उचित नहीं है।

अतः बंदोबस्त पदाधिकारी के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए **''बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली 8(4)''** के आलोक में श्री आशुतोष कुमार अमन, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN00459) का संविदा नियोजन समाप्त किया जाता है।

30/5/23

(जय सिंह)
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03 / 02–भू0अ0नि0राज्य यो0(आरोप)खगड़िया–30 / 2023 4481 **पटना, दिनांक** :– 30/05/2023

प्रतिलिपि :– श्री आशुतोष कुमार अमन, विशेष सर्वेक्षण अमीन(AEN00459), बंदोबस्त कार्यालय, खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03 / 02–भू0अ0नि0राज्य यो0(आरोप)खगड़िया–30 / 2023 4481 **पटना, दिनांक** :– 30/05/2023

प्रतिलिपि :– बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03 / 02–भू0अ0नि0राज्य यो0(आरोप)खगड़िया–30 / 2023 4481 **पटना, दिनांक** :– 30/05/2023

प्रतिलिपि :– श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं निदेशालय आदेश संख्या 1250 दिनांक 30.01.2023 के अनुपालनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप
30/5/23